2009:CGHC:6395

प्रकाशन हेतु अनुमोदित
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (227) क्रमांक 5833 वर्ष 2008

भागवत राम साहू
विरूद्ध

जगदीश प्रसाद निर्मलकर एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश के उदघोषणा हेतु दिनांक 11/05/2009 को सूचीबद्ध किया जावे।

सही/-
एन.के.अग्रवाल
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (227) क्रमांक 5833 वर्ष 2008

याचिकाकर्ता :- भागवत राम साहू पिता स्व. श्री आशाराम साहू, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी :- जरहाभाठा, रिंग रोड नंबर-02, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ०ग०)

उत्तरवादीगण :-
अनावेदक

1. जगदीश प्रसाद निर्मलकर पिता स्व. के.आर.निर्मलकर उम्र 45 वर्ष निवासी :- जरहाभाठा, रिंग रोड नंबर 2, पारिजात जाति, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ०ग०)
2. श्रीमती राज कुमार सोनी , पति कुमार सोनी उम्र 47 वर्ष द्वारा – स्व.चिन्ताराम निवासी – मानिकपुर, पुलिस चौकी के पास, तहसील व जिला कोरबा (छ०ग०)
3. श्रीमती सुशीला बाई, पति भास्करनंद सोनी उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी :- जी.आर.पी. लाईन, न्यू लोको कॉलोनी, मकान नंबर 972/04, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका
(एकल पीठ:- माननीय श्री एन.के.अग्रवाल न्यायाधीश)

याचिकाकर्ता की ओर से श्री के.ए.अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अंकुश मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित
उत्तरवादी क्रमांक 01 की ओर से श्री राम तिवारी अधिवक्ता उपस्थित
उत्तरवादी क्रमांक 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
उत्तरवादी क्रमांक 03 की ओर से श्री सुरेश पाण्डे अधिवक्ता उपस्थित

आदेश

(दिनांक 11 मई, 2007 को पारित)

1. यह याचिका दिनांक 24.04.2008 (अनुलग्नक पी/1) एवं 21.08.2008 (अनुलग्नक पी/2) के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि सिविल वाद क्रमांक 33**A**/07 में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित किए गए थे। उक्त आदेशों के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 1 जगदीश प्रसाद निर्मलकर द्वारा दायर आदेश 1 नियम 10 व्य.प्र.सं. तथा आदेश 1 नियम 10(3) सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत किया गया। दिनांक 24.04.2008 के प्रथम आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 को उत तरवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने का निर्देश दिया गया तथा दिनांक 21.08.2008 के द्वितीय आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 को सह-वादी के रूप में पक्षान्तरण किए जाने का निर्देश पारित किया गया।
2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता ने संपत्ति की विक्रय हेतु उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 के विरुद्ध संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद संस्थित किया, जो कि खसरा क्रमांक 505/01, रकबा 2 डेसिमल, ग्राम अमेरा, तहसील एवं जिला बिलासपुर में स्थित भूमि के भाग के संबंध में है एवं यह वाद वर्तमान में विचाराधीन होकर लंबित है। वाद की लंबितावस्था के दौरान, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने उक्त वाद में स्वयं को प्रतिवादी के रूप में संयोजित किये हेतु व्य.प्र.सं. के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में यह आधार लिया गया कि उसने वाद भूमि के संबंध में उत्तरवादी क्रमांक एवं 3 के साथ विक्रय संविदा किया था, जो समय की दृष्टि से पूर्ववर्ती है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.04.2008 के आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 का आवेदन इस आधार पर स्वीकृत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 एक आवश्यक पक्षकार है, जिससे न्यायालय वाद का प्रभावी एवं पूर्ण निपटारा कर सके तथा वाद में निहित सभी प्रश्नों का समाधान किया जा सके।
3. पुनः उत्तरवादी क्रमांक 1 ने आदेश 1 नियम 10(3) सहपठित धारा 151, व्य.प्र.सं. के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 1 को वादी क्रमांक 2 के रूप में पक्षान्तरण किए जाने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन को भी विचारण न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया और यह अभिमत व्यक्त किया कि ऐसा करने से वाद में निहित सभी वाद बिन्दुओं एवं विवादों का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंसारी ने यह निवेदन प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अधिकार–क्षेत्र से परे होकर अवैध हैं। इसके समर्थन में उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा *कस्तूरी बनाम अय्यामपेरूमल एवं अन्य* [1] प्रकरण में प्रदत्त निर्णय का अवलंब लिया है।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.के. तिवारी तथा उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पांडेय ने पारित आदेशों का समर्थन किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश सुविचारित हैं तथा उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा *स्नेह गुप्ता बनाम देवी सरूप एवं अन्य* [2], *बिजोय कुमार पटनायक बनाम बसंता कुमार पटनायक एवं अन्य* [3], *द्वारका प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम हरिकांत प्रसाद सिंह एवं अन्य* [4], *किरण टंडन बनाम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं अन्य* [5]तथा *आर.एस. मडप्पा (मृत), उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा बनाम चंद्रम्मा एवं अन्य* [6]प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या संपत्ति के विक्रय हेतु संविदा के विशिष्ट अनुपालन में क्रेता द्वारा विक्रेता के विरुद्ध दायर किसी वाद में, कोई अजनबी अथवा संविदा से पृथक तृतीय पक्ष, जो उक्त संपत्ति पर स्वतंत्र स्वामित्व एवं आधिपत्य का दावा करता है, को पक्षकार/प्रतिवादी के रूप में संयोजित किए जाने का अधिकार प्राप्त है ? तथा क्या ऐसे पक्षकार को वाद में वादी के रूप में पक्षान्तरण भी किया जा सकता है? इस संबंध में सुसंगत प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 1 नियम 10 है, जो इस प्रकार है :-

> 10 गलत वादी के नाम से वाद (1) जहाँ कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से संस्थित किया गया है, या जहाँ यह संदेहपूर्ण है कि क्या वह सही वादी के नाम से संस्थित किया गया है वहाँ यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वाद सदभाविक भूल से संस्थित किया गया है और विवाद में वास्तविक विषय के अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो, वह ऐसे निबन्धनों पर , जो वह न्यायसंगत समझे, वाद के किसी भी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोडे जाने का आदेश दे सकेगा ।

2 2009 (2) SUPREME 77
3 AIR 2000 SUPREME COURT 3587
4 AIR 1973 SUPREME COURT 655
5 AIR. 2004 SUPREME COURT 2006
6 AIR. 1965 SUPREME COURT 1812

(2) न्यायालय पक्षकारो का नाम काट सकेगा या जोड सकेगा - - न्यायालय कार्यवाहियो के किसी भी प्रकम में या तो दोनों पक्षकारें में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निराकरण करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो , जोड दिया जाए ।

(3) .....

(4) .....

(5) .....

(अनावश्यक होने के कारण लोप किया गया)

7. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि विक्रय संविदा हेतु संविदा के विशिष्ट अनुपालन के वाद में आवश्यक पक्षकार केवल संविदा के पक्षकार ही होते हैं, अथवा उनकी मृत्यु होने की स्थिति में उनके विधिक प्रतिनिधि, तथा साथ ही वाद संपत्ति के पश्चातवर्ती क्रेता। यदि किसी पश्चातवर्ती क्रेता ने संविदा की जानकारी रहते हुए संपत्ति क्रय की है, तो उस पर वाद का प्रत्यक्ष प्रभाव पडने के कारण वह आवश्यक पक्षकार होगा। किंतु, वह व्यक्ति जो उसी विक्रेता के साथ किसी पृथक विक्रय संविदा का पक्षकार होने का दावा करता है, आवश्यक पक्षकार नहीं माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उच्चतम न्यायालय ने कस्तूरी (पूर्वोक्त) के मामले में किसी पक्षकार के "आवश्यक पक्ष" होने का निर्धारण करने हेतु दो परीक्षणों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। पहला, उस पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित विवादों में किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, उस पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है ।

15. इसके अतिरिक्त, व्यवहार प्रक्रिया संहिता (व्य.प्र.संहिता) के आदेश 1, नियम 10 की उपनियम (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'वाद में सम्मिलित सभी प्रश्नों' का साधारण पठन करने से यह स्पष्ट होता है कि विधायिका का अभिप्राय यह था कि केवल वे विवाद, जो वाद में सम्मिलित पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होते हैं, पर ही विचार किया जाना चाहिए। अर्थात्, ऐसे विवाद जो एक पक्ष द्वारा स्थापित अधिकार तथा उसके आधार पर मांगे गए अनुतोष और दूसरे पक्ष द्वारा उसके अस्वीकार से संबंधित हों, और न कि वे विवाद जो

वादी/अपीलार्थी और प्रतिवादियों के आपस में या वाद के पक्षकारों और किसी तृतीय पक्ष के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण में, इसलिए, न्यायालय सहायक अथवा गौण विषयों का निर्णय इस प्रकार नहीं कर सकता कि विक्रय संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु प्रस्तुत वाद को एक जटिल शीर्षक वाद में परिवर्तित कर दे, जिसमें एक ओर वादी/अपीलार्थी हो और दूसरी ओर उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 और 4 से 11 सम्मिलित हों। यदि इस प्रकार की वृद्धि की अनुमति दी जाए, तो यह वाद को अत्यधिक जटिल वाद-विवाद में परिवर्तित कर देगी, जिसके परिणामस्वरूप उन गम्भीर प्रश्नों के परीक्षण और निर्णय की आवश्यकता उत्पन्न होगी, जो पूर्णतः वाद के विषय-परिधि से बाहर हैं। क्योंकि विक्रय संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद में पारित होने वाली डिक्री किसी भी प्रकार से उत्तरवादी क्रमांक 1 तथा 4 से 11 के अनुबन्धित संपत्ति से संबंधित अधिकार, स्वामित्व और हित को प्रभावित नहीं कर सकती, तथा इस विषय पर पूर्व में की गई विस्तृत चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 1 और 4 से 11 को इस विशिष्ट अनुपालन संबंधी वाद में पक्षकार के रू प में संयोजित किया जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। **xxxxxx xxxxxx xxxxxx**

17. इसके अतिरिक्त, एक और सिद्धान्त है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अपीलार्थी, जिसने विक्रय संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वर्तमान वाद संस्थित किया है, *डोमिनस लिटस (वाद का स्वामी)* है और उसे उन पक्षकारों को सम्मिलित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनके विरुद्ध वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, जब तक कि ऐसा करना विधि के नियम की अनिवार्यता के अंतर्गत न हो, जैसा कि उपर्युक्त चर्चा में स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त कारणों से, हमारा मत है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 तथा 4 से 11 न तो आवश्यक पक्षकार हैं और न ही उचित पक्षकार । अतः वे विक्रय संविदा के विशिष्ट अनुपालन से संबंधित लंबित वाद में प्रतिवादी-पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अधिकारी नहीं हैं।

18. ..... हमारे विचार में, विक्रय संविदा का कोई तृतीय पक्ष, यदि वह उत्तरवादी क्रमांक 3 के स्वामित्व को चुनौती दिए बिना, यह मान भी लिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाए कि अनुबन्धित संपत्ति के आधिपत्य में है, तो भी वह केवल अपने आधिपत्य की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे विक्रेता के विरुद्ध स्वामित्व और आधिपत्य से संबंधित पृथक वाद संस्थित करना अनिवार्य होगा। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि विक्रय संविदा के विशिष्ट अनुपालन संबंधी वाद में विवाद केवल अपीलार्थी और उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 के मध्य ही विचारणीय होगा। न्यायालय के लिए यह प्रश्न निर्धारित करना भी संभव नहीं है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 और 4 से 11 ने अनुबन्धित संपत्ति पर कोई स्वामित्व अथवा आधिपत्य अर्जित किया है या नहीं, क्योंकि यह विषय इस प्रकार के वाद के निर्णय हेतु सुसंगत नहीं है। अर्थात्, विक्रय संविदा के विशिष्ट अनुपालन संबंधी वाद में केवल वही विवाद निर्णयार्थ होगा, जो अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 के विरुद्ध उठाया गया है। ऐसे वाद में न्यायालय संविदा ित संपत्ति से संबंधित उत्तरवादी क्रमांक 1 और 4 से 11 के स्वामित्व और आधिपत्य के प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों की न्यायोक्ति (न्यायिक कथन) स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए पक्ष का समर्थन करती हैं।

10. इस संबंध में यह सुव्यवस्थित विधि है कि संपत्ति के विक्रय के लिए संविदा करने मात्र से किसी पक्षकार को संपत्ति पर कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं होता और उसकी उचित विधिक उपचार प्रक्रिया यह है कि वह विधि के अनुसार संपत्ति की विक्रय संबंधी संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद दायर करे। याचिकाकर्ता द्वारा संपत्ति की विक्रय संबंधी संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु दायर वाद में, उत्तरवादी क्रमांक 1, जो संविदा का पक्षकार नहीं है और यह दावा करता है कि उसने उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 के साथ, पृथक रूप से एवं पूर्ववर्ती समय में, संपत्ति के विक्रय हेतु संविदा किया है—उसे सदैव यह स्वतंत्रता है कि वह उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 के विरुद्ध संपत्ति की विक्रय संबंधी संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद प्रस्तुत कर सके। परंतु वह न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा संस्थित वाद में संपत्ति से

संबंधित है। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादी क्रमांक 1 के नाम का वादी क्रमांक 2 के रूप में प्रतिस्थापन पूर्णतः अधिकार क्षेत्र दो कारणों से परे है, प्रथम, उनके स्वयं के कथन के अनुसार उनका हित याचिकाकर्ता के प्रतिकूल है, और द्वितीय, उत्तरवादी क्रमांक 1 को वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने का अर्थ यह होगा कि वाद संपत्ति पर हित का दावा करने वाले दो वादी होंगे, जिनके दावे परस्पर प्रतिकूल हैं।

11. स्नेह गुप्ता (पूर्वोक्त) के मामले में, अपीलार्थी स्नेह गुप्ता संपत्ति में हिस्सा पाने के अधिकारप्राप्त विधिक वारिसान में से एक थीं। बिजोयो कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में, एक विभाजन वाद में वादी क्रमांक 1 ने प्रार्थना पत्र को उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापसी चाहने के स्थान पर वादी क्रमांक 2 से 5 को प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित करने का निवेदन मुंसिफ न्यायालय के समक्ष किया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृति प्रदान की। द्वारका प्रसाद सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि विक्रेता, पूर्ववर्ती विक्रय संविदा की सूचना के साथ क्रेता के विरुद्ध संस्थित विशिष्ट अनुपालन वाद में एक आवश्यक पक्षकार होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. किरण टंडन (उपर्युक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 4 में यह अभिनिर्धारित किया है कि –

...ऐसी शर्तों पर, जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हों, आदेश दिया जा सकता है कि किसी भी पक्षकार का नाम, जो अनुचित रूप से वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया हो, विलोपित किया जावे; एवं उस व्यक्ति का नाम जोड़ा जावे, जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक हो, अथवा जिसकी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष इस उद्देश्य से आवश्यक हो कि न्यायालय वाद में सम्मिलित सभी प्रश्नों का प्रभावी एवं पूर्णत: निर्णय और निपटारा कर सके। यह सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि न्यायालय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 1, नियम 10, उपनियम (2) के अंतर्गत यह अधिकार है कि किसी प्रतिवादी को वादियों की श्रेणी में स्थानांतरित कर सके

और जहाँ वादी सहमत हो, वहाँ ऐसा पक्षांतरण सहज रूप से किया जाना चाहिए।

13. अतएव, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में उल्लिखित उक्त उक्तियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिन पर उत्तरवादियो ने विश्वास किया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उनके लिए सहायक सिद्ध नहीं होते।

14. उपर्युक्त कारणों के आधार पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वाद सं. 33**A**/07 में दिनांक 24.04.2008 एवं 21.08.2008 को पारित आदेश पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से परे हैं तथा अपास्त किए जाने योग्य हैं। और अपास्त किया जाता है तथा उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा पक्षकारों के संयोजन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र तथा उत्तवादी क्रमांक 1 को वादी क्रमांक. 2 के रूप में पक्षान्तरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दोनों ही अस्वीकृत किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, यह याचिका स्वीकृत की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि उत्तरवादी क्रमांक 1, उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के तहत अपने उपचार का लाभ लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर /-
एन.के.अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरण – हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित उपयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं किया जाएगा। **समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का हिन्दी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता की जावेगी ।**

Translated by : अजय कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता